

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री मदन सिंह	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमती मीना कुमारी	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री यशपाल शर्मा	1-4-2013 से लगातार
---	------------------	--------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	अनुदान उपयोग न करना	9.04
2	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	2.66
3	11	Assessment के बिना भुगतान करना	6.56
4	13	IWMIWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को दी गयी राशि की जांच करने बारे	0.25
5	14	अज्ञात स्रोत के रूप में दर्शाई गयी राशि के बारे में	2.80

6	17	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना:-	5.00
---	----	---	------

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30/8/2016 से 7/9 /2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

<u>वित्तीय वर्ष</u>	<u>आय</u>	<u>व्यय</u>
2013-14	3/2014	2/2014
2014-15	10/2014	12/2014
2015-16	3/2016	8/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212/2016 दिनांक 5-9-2016 द्वारा अनुरोध किया गया । सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित प्रागपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 0229592 दिनांक 8-9-2016 द्वारा भेज दी गयी है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	199318	40934	240252	18225	222027
2014-15	222027	59517	281544	10470	271074
2015-16	271074	27572	298646	12315	286331

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	558467	1366645	1925112	1501618	423494
2014-15	423494	807513	1231007	609849	621158
2015-16	621158	1831803	2452961	1548741	904220

5

बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की गई थी जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹112334 का अंतर था | अतः पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें |

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष 286331

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 904220

योग 1190551

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्र संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के सी सी बी प्रागपुर	20073031988	503706
2	सी बी आई प्रागपुर	2168786962	131239
3	सी बी आई प्रागपुर	3267052624	342482
4	सी बी आई प्रागपुर	3169038179	10668
5	सी बी आई प्रागपुर	3267051494	82329
6	सी बी आई प्रागपुर	3267052884	7500
7	सी बी आई प्रागपुर	21688552508	0
8	सी बी आई प्रागपुर	3267053117	0
		योग	1077944
		हस्तगत राशि	273
		योग	1078217

अंतर 1190551-1078217 = ₹112334

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 पंचायत राजस्व की वसूली :-

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की ₹2920 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2013-14	0	6750	6750	1350	5400
2014-15	5400	6750	12150	0	12150
2015-16	12150	6750	18900	15980	2920

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹9.04 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान 904220 रुपये उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

9 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹2.66 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिती के अनुसार SFC,VKVNY,MPLAD,RAY,GRDY में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹265918 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SFC,VKVNY,MPLAD,RAY,GRDY में अथवा किसी अन्य योजना से SFC,VKVNY,MPLAD,RAY,GRDY का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1	SFC	16080
2	VKVNY	41294
3	MPLAD	18404
4	RAY	37500
5	GRDY	152640
	योग	₹265918

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्वि नियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

11 Assessment कार्य मूल्यांकन के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्य मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट 2 पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹656230 का भुगतान कार्य मूल्यांकन assess के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कार्य मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

12 लाभार्थियों से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :-

आई डब्लू एम पी अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थियों के निर्माण कार्य यथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था। अंकेक्षण अवधि के दौरान आई डब्लू एम पी के लाभार्थियों से कितनी राशि प्राप्त की गयी है उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी और न ही उसकी जाँच की जा सकी। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 IWMP IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को दी गयी राशि की वसूली के बारे

वाउचर संख्या 3 मास 11/2013 के द्वारा स्वयं सहायता समूह रामेश्वरी अप्पर

प्रागपुर को चक्रीय राशि ₹25000/- भुगतान की गयी। यह राशि उनके साथ किये गये समझौते के अनुसार 18 मास के उपरांत बिना ब्याज तथा तदोपरान्त 18 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूली जानी थी परन्तु इस वापिसी बारे रोकड़ वही में कोई भी उल्लेख न होने के कारण उस समूह से 18 प्रतिशत ब्याज की दर से चक्रीय राशि की वसूली शीघ्र की जाए।

14 अज्ञात स्रोत के रूप में दर्शाई गयी ₹2.80 लाख के बारे में

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर द्वारा निम्नानुसार प्राप्त राशि को रोकड़ वही में अज्ञात स्रोत के रूप में दर्शाया गया है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना में इस राशि को 13th Finance commission में दर्शाया गया है जो की उचित नहीं है। अतः इस राशि की प्राप्ति का स्रोत ज्ञात करके रोकड़ वही में इस चूक का निराकरण नियमानुसार सुनिश्चित करें।

<u>दिनांक</u>	<u>राशि</u>
31-8-2015	120000
4-10-2013	150000
26-3-2014	9750
योग	279750

15 अदायगी आदेश(पे आर्डर) के बिना भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नहीं करता है। जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

16 मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-

ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया। अतः उक्त के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

17 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी ₹5.00 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में न

दर्ज करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट(3) व (4)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹499760 के स्टॉक स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अतः बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।

मदों की सूचि परिशिष्ट (3) 42930

सीमेंट की सूचि परिशिष्ट (4) 456830

योग 499760

18 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम् अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना

सुनिश्चित किया जाए।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

20 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता /—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)39 / 2016-खण्ड-1-162-165 दिनांक: 12.01.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता /—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पैरा संख्या के सन्दर्भ में परिशष्ट ()

निम्नानुसार दर्शाए गए कार्यों की मापन पुस्तिकायें तथा Assessment तैयार नहीं की गई सामान्य रोकड़ वही

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
8	2/2014	निर्माण रास्ता तलाई वाला वार्ड 4	6800
9	12/2014	मुरम्मत रास्ता बाबा भरथरी वार्ड 2	6260
17	8/2015	निर्माण रास्ता हरिजन बस्ती	7670
18	8/2015	निर्माण रास्ता हरिजन बस्ती	60010
19	8/2015	निर्माण रास्ता हरिजन बस्ती	30050
मनरेगा			
26	2/2014	निर्माण चैक डैम टके वाली बस्ती से सड़क तक	32844
27	2/2014	निर्माण चैक डैम टके वाली बस्ती से सड़क तक	40572
28	2/2014	निर्माण लिंक रोड़ भरोवड से लिंक रोड वलिअना	29946
29	2/2014	निर्माण लिंक रोड़ भरोवड से लिंक रोड वलिअना	49542
30	2/2014	निर्माण लिंक रोड़ भरोवड से लिंक रोड वलिअना	48300

31	2/2014	निर्माण लिंक रोड़ भरोवड से लिंक रोड वलिअना	34362
32	2/2014	निर्माण नाली कबीर पंथी बस्ती वार्ड न०4	29532
34	2/2014	निर्माण नाली कबीर पंथी बस्ती वार्ड न०4	35742
—	12/2014	निर्माण लिंक रोड़ मांझी सिंह	33110
-	12/2014	निर्माण क्रेट्स नजदीक जमीन सत्या देवी जगदीश राम प्रफुल्ल कुमार	33880
—	12/2014	निर्माण क्रेट्स नाला नरियाल बस्ती	24640
-	8/2015	निर्माण डन्गा नजदीक जमीन जगदीश राम प्रफुल्ल कुमार	47533
-	8/2015	निर्माण नाली कबीर पंथी बस्ती वार्ड न०4	39809
-	8/2015	निर्माण नाली कबीर पंथी बस्ती वार्ड न०4	35163
—	8/2015	निर्माण डन्गा नजदीक जमीन जगदीश राम प्रफुल्ल कुमार	30465
		योग	656230

पैरा संख्या के सन्दर्भ में परिशिष्ट ()

भंडार रजिस्टर में दर्ज न की गयी मदों की सूची

वाउचर संख्या	मास	मद का नाम	मात्रा (CFT)	दर	राशि
सामान्य रोकड़ वही					
9	12/2014	(i)पथर	160	10	1600
		(ii)बजरी	130	24	3120
		(iii)रेत	70	22	1540
17	8/2015	(i)रेत	80	28	2240
		(ii)बजरा	90	12	1080
		(iii)बजरी	70	30	2100
		(iv)सोलिंग	100	12	1200
19	8/2015	सोलिंग	3005	10	30050
				योग	42930

पैरा संख्या के सन्दर्भ में परिशिष्ट ()

भंडार रजिस्टर में दर्ज न किये गये सीमेंट की सूची

वाउचर संख्या	मास	सीमेंट बैग	राशि
सामान्य रोकड़ वही			
5	6/2013	150	32400
9	7/2013	80	19200
19	11/2013	50	10950
25	3/2014	70	15330
1	4/2014	100	24000
12	1/2015	100	24000
3	4/2015	100	24000
13	6/2015	100	27300
21	8/2015	150	38550
24	9/2015	120	30840
33	10/2015	80	20560
34	11/2015	100	25700
51	3/2016	75	19275

मनरेगा			
21	12/2013	180	39420
33	2/2014	10	2190
1	6/2015	88	24040
4	8/2015	100	25700
12	10/2015	55	14135
IWMP			
1	10/2013	180	39240
		योग	456830